

## राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा) से जुड़ाव

### प्रलिस के ललल:

अंतरदेशीय जलमार्ग, भारत-बांग्लादेश (सनमुरा-दाउदकंडी), भारत-म्यांमार प्रोटोकॉल (कलादान) ।

### मेन्स के ललल:

अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभ और चुनौतललल, अंतरदेशीय जलमार्ग हेतु शुरु की गई पहल ।


### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने गुवाहाटी (असम) में बांग्लादेश के रास्ते पटना से पांडु बंदरगाह तक खाद्यान्न की पहली खेप के परवहन का स्वागत कलल ।

- असम और पूरवोत्तर भारत के ललल अंतरदेशीय जल परवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू-2 के बीच एक नरिधारतल अनुसूचित नौकायन की योजना बना रहा है ।
- [अंतरदेशीय पोत वधलयक, 2021](#) को अंतरदेशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को वनलयमतल करने के ललल भी अनुमोदतल कलल गया था ।

### महत्व:

- **इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीआरपी)** में जहाजों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही की शुरुआत पूरवोत्तर के पूरे क्षेत्र के ललल आर्थकल समृद्धल के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है ।
- यह अंतरदेशीय जल परवहन के वकलस और वृद्धल का मार्ग प्रशस्त करेगा ।
- यह व्वापार समुदाय को एक व्यवहार्य, आर्थकल और पारस्थलतलक वकलल्प भी प्रदान करेगा तथा भारत के पूरवोत्तर के वकलस हेतु महत्वपूर्ण भूमकल नभलएगा ।
- बांग्लादेश के माध्यम से ऐतहलसकल व्वापार मार्गों को फरल से जीवंत करने के नरलतर प्रयास को [प्रधानमंत्री गतल शकतल](#) के तहत प्रोत्साहन मलल ।
  - यह कल्पना की गई है कल पूरवोत्तर धीरे-धीरे एक कनेक्टवलय हब के रूप में परवलरतल हो जाएगा ।
  - पीएम गतल शकतल के तहत एकीकृत वकलस योजना की परकलल्पना की गई है ताकल ब्रह्मपुत्र के पर कार्गो की तेज़ी से आवाजाही हो सके ।



## अंतरदेशीय जलमार्गः

### परिचयः

- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है जिसमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।

- NW-1: गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (प्रयागराज-हल्दिया) 1620 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।
- भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया-वाराणसी खंड (NW-1 का हिस्सा) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिये [जल मार्ग विकास परियोजना \(JMVP\)](#) को लागू कर रहा है।

### इस संबंध में उठाए गए कदमः

- जलमार्गों को [पूर्वी और पश्चिमी डेडकिटेड फ्रेट कॉरडोर \(DFCs\)](#) के साथ-साथ सागरमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार जलक्षेत्र के माध्यम से माल के परिवहन को सुवर्धित करने वाले [भारत-बांग्लादेश \(सोनमुरा-दाउदकांडी\) और भारत-म्यांमार परोटोकॉल \(कलादान\)](#) के प्रावधान जो कि कई मामलों में भारत के अंतरदेशीय जलमार्गों को नरतिरता प्रदान करते हैं, भारत के उत्तर-पूर्वी भागों में त्वरित शिपमेंट तथा बाजार में गहरी पैठ को सक्षम बनाते हैं।

## भारत में अंतरदेशीय जलमार्ग की उपयोगिताः

- अंतरदेशीय जल परिवहन (Inland Water Transport- IWT) द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है जो एक ईंधन-कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है।
  - हालाँकि विकसित देशों की तुलना में भारत में माल ढुलाई के लिये जलमार्ग का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
- इसका संचालन वर्तमान में गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी (पूर्वोत्तर भारत), गोवा में नदियों, केरल में बैकवाटर, मुंबई में अंतरदेशीय जल और गोदावरी- कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों तक सीमित है।
- मशीनीकृत जहाजों द्वारा इन संगठित संचालनों के अलावा अलग-अलग क्षमता की देशी नावें भी विभिन्न नदियों एवं नहरों में संचालित होती हैं और इस असंगठित क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में कार्गो और यात्रियों को ले जाया जाता है।
- IWT में भारत में अत्यधिक व्यस्त रेलवे और भीड़भाड़ वाले रोडवेज का पूरक बनने की क्षमता है। कार्गो की आवाजाही के अलावा IWT क्षेत्र वाहनों की ढुलाई [फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) मोड] और पर्यटन जैसी संबंधित गतिविधियों को सुवर्धित करता है।

## अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभः

#### ■ परविहन का सस्ता तरीका:

- जलमार्ग उपलब्ध वकिलों की तुलना में परविहन का एक सस्ता साधन है, जो माल परविहन की बट्टि-दर-बट्टि लागत को काफी कम करता है।
- यह समय, माल और कार्गो के परविहन की लागत के साथ-साथ राजमार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं को भी कम करता है।
- नेटवर्क को हरति क्षेत्र नविश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुधार/उन्नयन के लिये केवल पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय) की आवश्यकता है।

#### ■ नरिबाध इंटरकनेक्टिविटी:

- अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क द्वारा "नौहन योग्य नदी तटों और तटीय मार्गों के साथ भीतरी इलाकों को जोड़ने वाली नरिबाध अंतरसंबंध स्थापति करने में मदद" की उम्मीद की जाती है और ये अंतरदेशीय जलमार्ग "उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मददगार साबित हो सकते हैं।"

### करयान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

#### ■ संपूर्ण वर्ष के दौरान एकसमान नौगम्यता का अभाव:

- कुछ नदियाँ मौसमी होती हैं और पूरे वर्ष नौहन क्षमता प्रदान नहीं करती हैं। 111 चहिनति राष्ट्रीय जलमार्गों में से लगभग 20 कथति तौर पर अव्यवहार्य पाए गए हैं।

#### ■ गहन पूंजी और रखरखाव की आवश्यकता:

- सभी चहिनति जलमार्गों के लिये गहन पूंजी एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा पर्यावरणीय आधार पर वरिध कथि जा सकता है, जिसमें वसिथापन की आशंका भी शामिल है, जिसके चलते कारयान्वयन की चुनौतियाँ सामने आती हैं।

#### ■ पानी के अन्य उपयोग:

- पानी के महत्त्वपूर्ण प्रतसिपर्द्धी उपयोग भी हैं, जैसे- सचिाई और बजिली उत्पादन आदि जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं। स्थानीय सरकार या अन्य लोगों के लिये इन ज़रूरतों की अनदेखी करना संभव नहीं होगा।

#### ■ केंद्र सरकार का वशिष क्षेत्राधिकार:

- संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र केवल 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषति कथि गए अंतरदेशीय जलमार्गों पर शपिगि एवं नेवगिशन तक सीमति है।
- अन्य जलमार्गों में जहाज़ों का उपयोग/नौकायन समवर्ती सूची के दायरे में है या संबंघति राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

### आगे की राह

- प्रतसिपर्द्धी आवश्यकताओं के साथ पानी एक दुर्लभ संसाधन होने के कारण, परविहन के लिये इसके उपयोग को उचति ठहराना मुश्कलि हो सकता है। हालाँकि, वभिनिन लाभों को ध्यान में रखते हुए और व्यावसायिक व्यवहार्यता, रोज़गार व आर्थिक वकिस के कई अवसरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रभावी ढंग से उपयोग कथि जा सकता है।
- एक प्रभावी जलमार्ग नेटवर्क के लिये राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य जलमार्गों के बीच पूरकता को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर रूप से समन्वति रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होगी।
  - इस रणनीति के लिये वभिनिन अंतरधाराओं पर बारीकी से ध्यान देना होगा, जिसमें प्रतसिपर्द्धी उपयोग और संभावति स्थानीय प्रतसिध आदि शामिल हैं, साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय परयोजना के त्वरति व सफल कारयान्वयन हेतु स्थानीय सरकारों के साथ मलिकर काम कथि जाए।

### स्रोत: पी.आई.बी.